

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर आदेश

यह है कि श्री लाल चन्द मीना (EMP. ID. RJJP200318006179) प्रधानाचार्य राउमावि पडाक छापली ब्लॉक—थानागाजी जिला अलवर का दिनांक 22.08.2026 को विभिन्न सोशल मीडिया चैनल्स व समाचार पत्र ऐप पर आपत्तिजनक विडियों वायरल हुआ है। जिसमें श्री लाल चन्द मीना, प्रधानाचार्य राजकीय विधालय की छात्राओं के साथ बांध में आपत्तिजनक स्थिति में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्री मीना प्रधानाचार्य का उक्त कृत्य नैतिक आचरण एवं एक लोकसेवक हेतु निर्धारित आचरण संहिता के विरुद्ध है।

अतः श्री लाल चन्द मीना, प्रधानाचार्य राउमावि पडाक छापली ब्लॉक—थानागाजी जिला अलवर के विरुद्ध विभागीय जॉच प्रारंभ करते हुए राजस्थान असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में इनका मुख्यालय निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर रहेगा एवं इन्हें निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा।

(ललित कुमार)

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)
दिनांक :- यथा हस्ताक्षर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/विजांच/11188/L-074/2026/59995

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, (कार्मिक) संस्थापन ए-बी अनुभाग कार्यालय हाजा।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या) माध्यमिक—अलवर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश संबंधित को तत्काल सर्व करवाकर प्रमाणित पावती प्रेषित करें एवं संबंधित को तत्काल प्रभाव से ऑनलाईन कार्यमुक्त करवा कर पालना से अवगत करावें। प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूर्ण प्रस्ताव 03 दिवस में निदेशालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, थानागाजी अलवर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित को तत्काल प्रभाव से ऑनलाईन कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।
7. अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण/डीपीसी/एसीआर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. श्री लाल चन्द मीना (निलं) प्रधानाचार्य द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या) माध्यमिक—अलवर।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर